

ब्यूज टुडे

नीति आयोग ने “विनिर्माण पुनर्कल्पना: उन्नत विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत का रोडमैप” का अनावरण किया

इस रोडमैप में अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन्हें पांच मुख्य समूहों (क्लस्टर) में बांटा गया है। साथ ही, निम्नलिखित चार अत्याधुनिक अग्रणी प्रौद्योगिकियों को बढ़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्राथमिकता भी दी गई है:

- ▶ कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग (AI/ ML), एडवांस्ड मटेरियल, डिजिटल ट्विन्स और रोबोटिक्स।
- ▶ भारत के विनिर्माण क्षेत्र में रूपांतरण लाने के लिए आवश्यक कदम
- ▶ वर्तमान स्थिति: ऐतिहासिक रूप से भारत के विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 15-17% का योगदान रहा है, जो अपने विकास के चरम पर रहे पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है।
- ▶ संरचनात्मक चुनौतियाँ: अनुसंधान एवं विकास में सीमित निवेश के कारण ‘क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन’ सीमित हो रहा है। साथ ही, विखंडित मूल्य श्रृंखलाएं स्थिरता, प्रसार और एकीकरण को बाधित कर रही हैं। इसमें विनियामक जटिलता और नीतिगत अनिश्चितता आदि भी शामिल हैं।
- ▶ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन: इसका अर्थ है जब नई तकनीक, नए विचार या नए उत्पाद बाजार में आते हैं और पुराने तरीकों या वस्तुओं की जगह ले लेते हैं।
- ▶ अवसर लागत: यदि अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में अग्रणी प्रौद्योगिकियों को नहीं अपनाया जाता है, तो वर्ष 2035 तक भारत के विनिर्माण क्षमता से प्राप्त होने वाली 270 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त GDP से वंचित रहने की संभावना है।

रूपांतरण के चार स्तंभ: अग्रणी प्रौद्योगिकी के लिए आगे की राह

अग्रणी प्रौद्योगिकी	संभावित उपयोग
 कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग (AI/ ML)	▶ हाइपरलोकल डिमांड इंटेलिजेंस: क्षेत्रीय रुझानों और स्थानीय भाषा के कंटेंट को समझकर रियल टाइम में मांग के अनुसार मानचित्र तैयार करना। इससे माइक्रो-फैक्ट्री नेटवर्क और टियर-2/3 आपूर्तिकर्ता बेहतर कार्रवाई कर सकेंगे। ▶ ऑटोनोमस बैच रिलीज़: फार्मास्यूटिकल्स और रासायनिक उद्योगों में विनियामक के प्रति सचेत AI एजेंट्स का उपयोग करना। ये एजेंट्स रियल टाइम में अनुपालन को ट्रैक करके उत्पाद के बैच रिलीज़ को तेज करेंगे और वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे।
 एडवांस्ड मटेरियल साइंस	▶ हल्के बहु-कार्यात्मक यौगिक: टेलवे और रक्षा क्षेत्रों में थर्मोप्लास्टिक यौगिक का उपयोग किया जा सकता है। इससे संरचनात्मक मजबूती के साथ-साथ ध्वनि अवरोध (शिल्डिंग) और कंपन अवशोषण (डैम्पिंग) जैसी अतिरिक्त विशेषताओं को भी जोड़ा जा सकेगा। ▶ ग्रीन कैटेलेस्ट: रासायनिक विनिर्माण में नैनो-इंजीनियर्ड कैटेलेस्ट को अपनाने से कम उत्सर्जन वाली रासायनिक प्रक्रिया संभव होगी और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता व रेसिलिएंस भी बढ़ेगी।
 डिजिटल ट्विन्स (भौतिक प्रणालियों की वर्चुअल व डेटा-संचालित प्रतिकृतियाँ)	▶ एयरोस्पेस एवं रक्षा अनुसंधान व विकास में तेजी लाना: विमान में उपयोग होने वाले घटकों को वर्चुअली डिजाइन, सिमुलेट और वास्तविक स्थितियों के तहत सत्यापित किया जा सकेगा। इससे इनके विकास में लगने वाले समय और भौतिक परीक्षण की लागत को घटाया जा सकेगा। ▶ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस: कंसट्रक्शन और खनन संबंधी मशीनरी की रियल टाइम में प्रतिकृति बनाई जा सकेगी। इससे अग्रिम रूप से ही किसी विफलता के संकेतों का पता लगाया जा सकेगा और परिसंपत्तियों की कार्यशील अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
 रोबोटिक	▶ टेलीरोबोटिक्स: यह 5G और हैप्टिक फीडबैक की मदद से खतरनाक दशाओं (जैसे- रासायनिक संयंत्र, परमाणु संयंत्र) में कार्यों को करने के लिए रोबोट्स के रिमोटली कंट्रोल को संभव बनाती है। ▶ एक्सोस्केलेटन: श्रमिकों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए वियरेबल डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है, ताकि कठिन या दोहराव वाले कार्यों में शारीरिक तनाव और चोट के जोखिम को कम किया जा सके।

चीन ने PLI योजना के तहत सब्सिडी को लेकर WTO में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

चीन ने आरोप लगाया है कि भारत की इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और बैटरी से संबंधित तीन भारतीय PLI योजनाएं घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) के अनिवार्य आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। यह सहायता भारत में परिचालन करने वाली कंपनियों को दी जाती है।

- ▶ 3 विशिष्ट PLI योजनाएं, जिन्हें चुनौती दी गई है:
 - ▶ ACC बैटरियों की गीगा-स्केल विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने वाली योजना;
 - ▶ एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) उत्पादों के विनिर्माण को मजबूत करने वाली ऑटो उद्योग के लिए योजना; तथा
 - ▶ वैश्विक EV निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए EV विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना।
- ▶ इन योजनाओं के तहत DVA की शर्तें कंपनियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करती हैं। इससे आयातित वस्तुओं का उपयोग हतोत्साहित होता है। चीन का कहना है कि यह WTO के “सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समझौते (SCM समझौते)” के तहत प्रतिबंधित श्रेणी का उल्लंघन है।

WTO के SCM समझौते के बारे में

- ▶ अनुच्छेद 1: यह किसी सब्सिडी को सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए एक ऐसे वित्तीय योगदान के रूप में परिभाषित करता है, जो लाभ प्रदान करता है।
- ▶ SCM समझौता सब्सिडियों की दो श्रेणियों का निर्माण करता है। ये हैं- निषिद्ध और कार्रवाई योग्य।
 - ▶ निषिद्ध: अनुच्छेद 3 द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार की सब्सिडी निषिद्ध हैं:
 - ▶ पहली: ऐसी सब्सिडी जो निर्यात प्रदर्शन (चाहे वह कानूनी रूप से हो या वस्तुतः रूप में, और चाहे वह पूर्ण रूप से एकमात्र शर्त हो या विविध शर्तों में से एक हो) पर निर्भर करती है। इन्हें “निर्यात सब्सिडी” कहा जाता है।
 - ▶ दूसरी: ऐसी सब्सिडी जो आयातित वस्तुओं की बजाये स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग (चाहे एकमात्र शर्त हो या अन्य शर्तों में से एक) पर निर्भर करती है। इन्हें “स्थानीय सामग्री सब्सिडी” कहा जाता है।
 - ▶ कार्रवाई योग्य:
 - ▶ इन सब्सिडियों को बहुपक्षीय विवाद निपटान प्रणाली या प्रतिपूरक कार्रवाई के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में

- ▶ शुरुआत: वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रणनीतिक क्षेत्रों में लक्ष्य-आधारित और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- ▶ कवर किए गए मुख्य क्षेत्र: शुरुआत में यह योजना केवल 3 क्षेत्रों पर केंद्रित थी, लेकिन बाद में इसका 14 क्षेत्रों तक विस्तार किया गया। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कार्यबल संबंधी चुनौतियां

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों की बार-बार हड़तालें और आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन, भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को समर्थन देने वाले प्रमुख कर्मचारी वर्ग

कर्मचारी वर्ग	उत्पत्ति	प्राथमिक भूमिका	वेतन संरचना
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs)	समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS, 1975)	पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य	मानदेय
आशा कार्यकर्ता	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM, 2005)	लोगों को एकजुट कटना, जागरूकता फैलाना, समुदाय और प्रणाली के बीच जुड़ाव स्थापित कटना आदि।	प्रोत्साहन आधारित
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHOs)	स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, 2018	विस्तारित प्राथमिक देखभाल सेवाएं प्रदान कटना	संविदात्मक + प्रोत्साहन

प्रमुख चुनौतियां

- जिम्मेदारियों में वृद्धि: इन्हें आबादी की गणना, गैर-संक्रामक बीमारियों की निगरानी और पैलिटिव केयर जैसे अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं, लेकिन समान वेतन या समर्थन नहीं मिलता है।
- कम पारिश्रमिक और संरक्षण: इनका पारिश्रमिक कम होता है और उसके भुगतान में भी देरी होती है। साथ ही, फील्ड वर्क के दौरान सुरक्षा की कमी रहती है, क्योंकि इन्हें अभी भी स्वयंसेवक माना जाता है।
- यूनियन और हड़तालें: यूनियन की बढ़ती मौजूदगी असंतोष को दर्शाती है। केरल और हरियाणा की आशा कार्यकर्ताएं तथा देश भर की आंगनवाड़ी यूनियंस कर्मियों को स्थाई करने और उचित वेतन की मांग कर रही हैं।
- रिक्त स्थायी पद: लगभग 10-15% सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के पद और 20-25% डॉक्टर के पद रिक्त हैं।
- संविदाकरण की प्रवृत्ति: संविदा आधारित नियुक्तियों में वृद्धि लागत में कटौती और प्रशासन में आसानी को दर्शाती है, लेकिन इसमें करियर संबंधी विकास या स्पष्ट कैडर संरचना का अभाव होता है।

निष्कर्ष

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक संतुलित कार्यबल मॉडल, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, उचित प्रोत्साहन और निरंतर क्षमता निर्माण करना आवश्यक है।

एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) योजना

ICCVAI योजना के बारे में

- यह एक मांग आधारित योजना है।
- यह प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) का एक हिस्सा है।
- इसका संचालन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) करता है।
- इसका लक्ष्य जल्दी खराब होने वाले कृषि व संबद्ध उत्पादों के मामले में हार्वेस्टिंग के बाद के भारी नुकसान को कम करना है।

योजना के मुख्य उद्देश्य

- खेत से उपभोक्ता तक निर्बाध शीत श्रृंखला का निर्माण करना।
- वैज्ञानिक संरक्षण और दक्ष भंडारण प्रणालियों के माध्यम से हार्वेस्टिंग के बाद के नुकसान को कम करना।
- प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाकर मूल्य संवर्धन करना।
- उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित व उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य उत्पादों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

योजना के मुख्य घटक

- फार्म-स्तरीय अवसंरचना (प्री-कूलिंग यूनिट्स);
- प्रसंस्करण केंद्र;
- वितरण केंद्र (उत्पादों के दक्ष आवागमन के लिए केंद्रीकृत भंडारण, समेकन और प्रेषण केंद्र);
- प्रशीतित परिवहन आदि।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कौन पाल है?

- व्यक्ति (किसानों सहित); तथा
- संगठन: किसान उत्पादक संगठन (FPOs), किसान उत्पादक कंपनियां (FPCs), गैर-सरकारी संगठन (NGOs), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), फर्म, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह (SHGs)।

ICCVAI योजना की पूरक प्रमुख सरकारी पहलें

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH): इसके तहत 5,000 मीट्रिक टन तक की शीत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB): इसके तहत 5,000 मीट्रिक टन से 20,000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाली शीत भंडारण सुविधाओं के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF): 2 करोड़ रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष 3% ब्याज छूट भी शामिल है।
- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना: यह फलों, सब्जियों और झींगा उत्पादन में मूल्य स्थिरीकरण एवं हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान को कम करने हेतु सहायता प्रदान करती है।



भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट के पार पहुंच गई

भारत ने अपने प्रमुख पंचामृत लक्ष्य में से एक को निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। यह लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। भारत द्वारा पंचामृत लक्ष्य की घोषणा COP-26 के दौरान की गई थी।

- वर्तमान में, भारत में विद्युत उत्पादन में गैर-जीवाश्म ईंधन का योगदान 51% (256 गीगावाट), और जीवाश्म ईंधन का योगदान 49% (244 गीगावाट) हो गया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी:

- सौर- 127 गीगावाट,
- पवन- 53 गीगावाट, तथा
- जलविद्युत- 47 गीगावाट।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी मुख्य पहलें

- PLI योजना: इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- पीएम-कुसुम: यह ग्रिड से कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और कृषि में उपयोग होने वाले वाटर पम्प को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए शुरू की गई है।
- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- हरित ऊर्जा गलियारा: इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना है।
- रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (RPO) संबंधी बाध्यता: यह विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न विद्युत का एक निर्धारित प्रतिशत खरीदना अनिवार्य करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने के समक्ष प्रमुख मुद्दे

- ग्रिड एवं विद्युत भंडारण संबंधी बाधाएं: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अस्थिर और अप्रत्याशित होते हैं, क्योंकि ये मौसम की दशाओं पर निर्भर होते हैं।
- ट्रांसमिशन संबंधी बाधाएं: सौर संयंत्र एक वर्ष के भीतर तैयार हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइनों को बनाने में ढाई वर्ष तक का समय लग जाता है।
- वित्त-पोषण जोखिम: अहस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते और वित्तीय रूप से कमजोर डिस्कॉम नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को शुरू करने में बाधा डालते हैं।
- आयात पर उच्च निर्भरता: विदेशी सौर मॉड्यूल और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता बनी हुई है।
- भूमि की उपलब्धता में देरी एवं नीतिगत बाधाएं: इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाएं और राज्यों के मध्य विनियम संबंधी समन्वय का न होना परियोजना के क्रियान्वयन को धीमा कर देते हैं।
- आगे की राह
- विद्युत भंडारण संबंधी अवसरचना में निवेश: इसके तहत बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को स्थापित किया जाना चाहिए।
- मजबूत अवसरचना: हरित ऊर्जा गलियारे को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए।
- घरेलू विनिर्माण: सौर मॉड्यूल, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के घरेलू स्तर पर उत्पादन का विस्तार करना चाहिए।
- नीतिगत स्थिरता: विनियमन को लेकर स्पष्टता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देना चाहिए।



अन्य सुर्खियां



विलय का सिद्धांत (Doctrine of Merger)

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 'विलय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर' एक कठोर और सार्वभौमिक रूप से उपयोग होने वाला सिद्धांत नहीं है।

विलय के सिद्धांत के बारे में

- तर्क: इस सिद्धांत के अनुसार, एक समय में एक ही विषय पर एक से अधिक डिक्री या आदेश लागू नहीं हो सकते।
- उपयोग: यह इस पर निर्भर नहीं करता कि अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले या डिक्री की पुष्टि की है, उसे संशोधित किया है या उसे उलट दिया है।
 - अर्थ: इसका अर्थ है कि जब एक उच्चतर न्यायालय, किसी अधीनस्थ अदालत के आदेश, डिक्री, या निर्णय को रद्द, संशोधित, या पुष्टि करते हुए निपटारा करता है, तो निचली अदालत के आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह उच्चतर न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है।
- उद्देश्य और लाभ: यह न्यायालयों और अधिकरणों के पदानुक्रम की गरिमा बनाए रखता है तथा न्यायिक फैसलों में अंतिम रूप सुनिश्चित करता है।
- महत्वपूर्ण निर्णय: स्टेट ऑफ मद्रास बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि विलय का सिद्धांत अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश की प्रकृति और ऐसी अधिकारिता प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों के दायरे पर निर्भर करता है।



विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड क्मोडिटीज) संशोधन नियम, 2025

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड क्मोडिटीज) संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया। संशोधन नियम 2025 के बारे में

- ये नियम चिकित्सा उपकरणों के पैकेजों के लिए विशिष्ट प्रावधान करते हैं। इस प्रकार विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड क्मोडिटीज) नियम, 2011 को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के अनुरूप किया गया है।
- यह सुनिश्चित करता है कि अनिवार्य डिक्लेरेशन करने की अनिवार्यता बनी रहेगी, लेकिन चिकित्सा उपकरण नियमों के तहत निर्धारित फॉन्ट के आकार और आयाम संबंधी मानक लागू होंगे, न कि विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड क्मोडिटीज) नियमों के तहत निर्धारित मानक।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में विनियामक सामंजस्य सुनिश्चित करना, अनुपालन में अस्पष्टता को कम करना और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ाना है।





UNEP अनुकूलन अंतराल (Adaptation Gap) रिपोर्ट 2025

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वित्तीय अंतराल: विकासशील देशों को 2030 के मध्य तक अनुकूलन के लिए 310-365 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की कमी का सामना करना पड़ेगा।
 - वर्तमान वित्त-पोषण: वैश्विक अनुकूलन वित्त-पोषण केवल 26 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो आवश्यकताओं से बहुत कम है।
- कार्यान्वयन में देरी: अधिकांश देशों के पास योजनाएं हैं, लेकिन उनके उचित क्रियान्वयन का अभाव है और उनकी गुणवत्ता भी कम बनी हुई है।
- तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता: वित्त-पोषण, नवोन्मेषी साधनों और बेहतर लोचशीलता योजनाओं में व्यापक पैमाने पर वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- भारत से संबंधित तथ्य: भारत ने अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि और राज्य कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी यह बहुत अधिक गर्मी, अनिश्चित मानसून और तटीय बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है।



क्लाइमेट इनेक्लिटी रिपोर्ट 2025

हाल ही में, वर्ल्ड इनेक्लिटी लैब द्वारा क्लाइमेट इनेक्लिटी रिपोर्ट 2025 जारी की गई।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- धनी वर्ग द्वारा असमान उत्सर्जन: शीर्ष 1% धनी लोगों का वैश्विक उपभोग आधारित उत्सर्जन में 15% का योगदान है, लेकिन निजी पूंजी स्वामित्व से उत्पन्न उत्सर्जन में इनका योगदान 41% है।
- उत्सर्जन में चरम असमानता: उपभोग के आधार पर शीर्ष 1% धनी लोगों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, निचले वर्ग की 50% आबादी की तुलना में 75 गुना अधिक है।
- औद्योगिक उत्सर्जन का संकेद्रण: लगभग 100 कंपनियां कुल औद्योगिक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के 71% के लिए जिम्मेदार हैं।



क्वांटम इन्फॉर्मेशन स्कैम्बलिंग

गूगल ने घोषणा की है कि उसके क्वांटम प्रोसेसर “बिलो” ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक वेरिफाइबल क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है।

- इस उपलब्धि के तहत, शोधकर्ताओं ने स्कैम्बल डेटा के ड्रको का पता लगाया। इससे एंटेगलमेंट के माध्यम से सूचना प्रतिधारण सिद्ध हुआ।

क्वांटम इन्फॉर्मेशन स्कैम्बलिंग के बारे में

- परिभाषा: यह वह प्रक्रिया है, जिसमें सूचना पूरे क्वांटम सिस्टम में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। इससे वह स्थानीय स्तर पर मापने योग्य नहीं रहती।
- तंत्र: इसमें एंटेगलमेंट के माध्यम से क्वांटम डेटा को कई कणों के बीच वितरित कर दिया जाता है। इससे सूचना मिटती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में छिप जाती है।
 - उदाहरण: जैसे पानी में एक बूंद रंग घुल जाने पर वह पूरे पानी में फैल जाता है, वैसे ही एक क्यूबिट में मौजूद सूचना कई क्यूबिट्स में फैल जाती है।
- महत्त्व: यह खोज न केवल वेरिफाइबल क्वांटम एडवांटेज को प्रदर्शित करती है, बल्कि क्वांटम प्रौद्योगिकियों की समझ को भी बढ़ाती है।



लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC)

शोधकर्ताओं ने LMC में ST6 नामक एक नवनिर्मित तारे के आसपास कार्बन समृद्ध 5 यौगिकों की पहचान की है।

- इस खोज से यह पता चल सकता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में जीवन के निर्माण खंड कैसे बने होंगे।

लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) के बारे में

- यह मिल्की वे की एक उप-आकाशगंगा है, जो पृथ्वी से लगभग 200,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
- यह एक वामन आकाशगंगा (Dwarf Galaxy) है, जो पूर्णिमा के चंद्रमा से लगभग 20 गुना बड़े आकार में रात्रिकालीन दक्षिणी आकाश में दिखाई देती है।
- इसके भीतर मौजूद गैस के विशाल बादल धीरे-धीरे ढहकर नए तारों का निर्माण करते हैं।



राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)

कैबिनेट सचिव ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवातों के संबंध में NCMC की बैठक की अध्यक्षता की। NCMC के बारे में

- इसे आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- यह एक मुख्य वैधानिक निकाय है, जो गंभीर या राष्ट्रीय प्रभाव वाली प्रमुख आपदाओं से निपटने के लिए जिम्मेदार है।
- कैबिनेट सचिव इसका अध्यक्ष होता है। इसके अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।
- शक्तियां और कार्य:
 - यह किसी भी आपदा या आपात स्थिति के लिए तैयारी का मूल्यांकन कर सकती है।
 - यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय और निगरानी करती है।

सुर्खियों में रहे स्थल



ताजिकिस्तान (राजधानी: दुशांबे)

भारत ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते की समाप्ति के बाद आयनी एयरबेस से अपनी उपस्थिति हटा ली।

भौगोलिक अवस्थिति

- अवस्थिति: यह एक स्थलरुद्ध देश है, जो मध्य एशिया में स्थित है।
- सीमाएं: इसकी सीमाएं उत्तर में किर्गिस्तान; पूर्व में चीन; दक्षिण में अफगानिस्तान; तथा पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में उज्बेकिस्तान से लगती हैं।
- महत्त्व: SCO (शंघाई सहयोग संगठन) और CSTO (सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन) का सदस्य है।
- सामरिक प्रासंगिकता: यह वाखान गलियारे के नजदीक स्थित है, जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ता है।

भौगोलिक विशेषताएं

- जलवायु: मध्य-अक्षांश महाद्वीपीय; गर्म ग्रीष्मकाल, हल्की सर्दियां; पामीर पहाड़ों में अर्ध-शुष्क से लेकर ध्रुवीय तक जलवायु पाई जाती है।
- सबसे ऊंची चोटी: इमेनी इस्माइल समानी या इस्मोइल सोमोनी (7,495 m)।
- झीलें: काराकुल और इस्कंदरकुल प्रमुख अल्पाइन झीलें हैं।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर